

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2026/90A/100797

ई हस्ताक्षर

प्रारूप 13
(नियम 13(2)देखिए)

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31.12.2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति से मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि का **झूलेलाल नगर विकास समिति** की योजना **झूलेलाल नगर** के सदस्यों द्वारा इसको कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्वर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरीत होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है। अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	खातेदार
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1786 कुल किता-1	0.83 कुल रकबा-0.83	1. गोविन्दलाल पुत्र जबरीमल हिस्सा- 1/2 जाति- कुमावत सा. डीडवाना (नागौर) खातेदार 2. घनश्याम पुत्र चैतरामअग्रवाल हिस्सा- 1/2 जाति- कुमावत सा. महावीरकोलोनी मदनगंज (किशनगढ) खातेदार
ग्राम सांगानेर	1785/5155	0.25	1. मीनागोयल पत्नि

RajKaj Ref No.:
23281536



Digitally signed by
TARAMATI VAISHNAVA
Designation: Deputy
Commissioner
Date: 2026-07-08 12:41:16
IST

तहसील सांगानेर	कुल किता-1	कुल रकबा-0.25	गणपतलालगोयल हिस्सा- पूर्ण जाति- गोयल सा. डागा की गली मदनगंज किशनगढ़ (अजमेर) । खातेदार
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	1785/5154 कुल किता-1	0.88 कुल रकबा-0.88	1. चेताराम पुत्र गोकुलचन्द हिस्सा- 1/2 जाति- पटवारी नि. डागागली. मदनगंज(किशनगढ़ खातेदार 2. सावित्रीदेवी पत्नि ओमप्रकाश पटवारी हिस्सा- 1/2 जाति- पटवारी सा. मऊ (श्रीमाधोपुर) खातेदार

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)/डीएलबी/2026/3651 दिनांक 10.06.2026 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नम्बर 305, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित कार्यालय/न्यायालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय (3 से 5 बजे तक) में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में प्रकरण में एकतरफा नियमानुसार कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित किया जा सकेगा। सूचित रहें। नोटिस आज दिनांक यथा हस्ताक्षरित को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी, जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अति. आयुक्त(प्रशासन), जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सूचना का प्रकाशन रॉस्टर अनुसार दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार करवाने का श्रम करावें।

